भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3775
जिसका उत्तर 18 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।
27अग्रहायण, 1946 (शक)

साइबर सुरक्षा पर डिजिटल बैंकिंग व्यवसाय का प्रभाव

3775.श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी के गतिशील स्वरूप को देखते हुए डिजिटल बैंकिंग व्यवसाय में वृद्धि के कारण साइबर सुरक्षा पर कोई प्रभाव पड़ा है; और
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान फिशिंग, नेटवर्क स्कैनिंग और प्रोबिंग, वायरस और वेबसाइट हैकिंग सहित साइबर खतरे के कितने मामले दर्ज किए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क):सरकारसूचनाप्रौद्योगिकीकीगतिशीलप्रकृतिकोध्यानमेंरखतेहुएडिजिटलबैंकिंगव्यवसायमेंवृद्धिकेकारण उत्पन्नहोनेवालेसाइबरखतरोंऔरचुनौतियोंकेप्रतिपूरीतरहसजगऔरजागरूकहै।
सरकारअपनेउपयोगकर्ताओंकेलिएएकखुला, सुरक्षित, विश्वसनीयऔरजवाबदेहइंटरनेटसुनिश्चितकरनेकेलिएप्रतिबद्धहैऔरइसनेडिजिटलबैंकिंगव्यवसायकीसुरक्षा केउद्देश्यसेकईमहत्वपूर्णपहलेंकीहैं, जिनमेंअन्यबातोंकेसाथ-साथनिम्नलिखित भी शामिलहैं:

i. भारतीयकंप्यूटरआपातकालीनप्रतिक्रियादल (सर्ट-इन) कोसूचनाप्रौद्योगिकीअधिनियम, 2000 कीधारा
70खकेप्रावधानोंकेतहतसाइबरसुरक्षाघटनाओंपरप्रतिक्रियादेनेकेलिएराष्ट्रीयएजेंसीकेरूपमेंनामितकियागयाहै।
ii. कंप्यूटरसुरक्षाघटनाप्रतिक्रियादल-वित्तक्षेत्र (सीएसआईआरटी-फिन) कीस्थापनासर्ट-इनकेतत्वावधानऔरमार्गदर्शनमेंवित्तीयक्षेत्रसेरिपोर्टकीगईसाइबरसुरक्षाघटनाओंपरप्रतिक्रियादेने , उन्हेंरोकनेऔरशमन करनेकेलिएकीगईहै।
iii. यहसुनिश्चितकरनेकेलिएकिअधिकृतभुगतानप्रणालीऑपरेटरों (पीएसओ) द्वाराभुगतानप्रणालीकोसुरक्षित,
सुदृढ़औरकुशलतरीकेसेसंचालितकरनेहेतुप्रौद्योगिकीकाउपयोगकियाजाए, भारतीयरिजर्वबैंक (आरबीआई)
नेसभीपीएसओकोनिर्देशदियाथाकिवेअपनेभुगतानप्रणालीकावार्षिकआधारपरसर्ट-

इनकेपैनलबद्धलेखापरीक्षकोंसेलेखापरीक्षाकरवाएंऔरअपनेसंबंधितवित्तीयवर्षकीसमाप्तिकेदो माहकेभीतरआरबीआईकोरिपोर्टप्रस्तुतकरें।

iv. सर्ट-इननेसूचनासुरक्षासर्वोत्तमपद्धतियोंकेकार्यान्वयनकासमर्थनऔरलेखापरीक्षाकरनेकेलिए 155 सुरक्षालेखापरीक्षासंगठनोंकोसूचीबद्धकियाहै।

v. सर्ट-इननेडिजिटलभुगतानकेसुरक्षापहलुओंकेबारेमेंजागरूकताकेलिएसमय-समयपरपरामर्शी निदेश जारीकिएहैं, जिनकाउद्देश्यखतरेकेकारकोंकाविश्लेषणकरकेसाइबरसुरक्षासंबंधीजानकारीकासृजनकरनात थासंगठनोंऔरउपयोगकर्ताओंकेलिएसाइबरसुरक्षाकेविशिष्टक्षेत्रहेतु सर्वोत्तमप्रथाओंकासुझावदेनाहै।

vi. सर्ट-इनऔरआरबीआईसंयुक्तरूपसेडिजिटलइंडियाप्लेटफॉर्मकेमाध्यमसे 'वित्तीयधोखाधड़ीसेसावधानऔरजागरूकरहें' विषय परसाइबरसुरक्षाजागरूकताअभियानचलारहेहैं।

vii. आरबीआईनेबैंकोंकेलिएसाइबरसुरक्षाढांचेपरएकव्यापकपरिपत्रजारीकियाहै, जोसुदृढ़ साइबरसुरक्षानियंत्रणोंकोलागूकरनेकेलिएमानकऔरदिशा-निर्देशनिर्धारितकरताहै। यहपरिपत्रबैंकोंकेलिएएकबेंचमार्ककेरूपमेंकार्यकरताहै, जिसमेंसाइबरसुरक्षाकेविभिन्नपहलुओंकोशामिलकियागयाहै, जिसमेंजोखिमप्रबंधन, खतरेकापतालगाना, डेटासुरक्षाऔरघटनाप्रतिक्रियाशामिलहै, जोडिजिटलबैंकिंगप्रणालियोंकीसुरक्षाकेलिएएकसमानऔरप्रभावीदृष्टिकोणसुनिश्चितकरताहै।

(ख):भारतीयकंप्यूटरआपातकालीनप्रतिक्रियादल (सर्ट-इन) कोदीगईसूचनाऔरउसकेद्वाराट्रैककीगईसूचनाकेअनुसार, पिछलेतीनवर्षोंकेदौरानभारतीयबैंकिंगक्षेत्रमेंफिशिंग, नेटवर्कस्कैनिंगएवंजांच, वायरसऔरवेबसाइटहैकिंगकीघटनाओंसहितसाइबरसुरक्षाकीघटनाओंकीकुलसंख्यानिम्नानुसारहैं:

वर्ष	फ़िशिंगघटनाएँ	नेटवर्कस्कैनिंगएवंजांच	वायरस/मैलवेयरघटनाएँ	वेबसाइटहैकिंगकीघटनाएं	साइबरसुरक्षाघटनाएँ
2021	215	86,585	9,203	18	1,22,764
2022	1,145	10,220	2,559	57	27,482
2023	401	12,330	1,185	39	23,158

******